बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 122 दिनांक 19–9–08

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672

(O) 9334387630

(F) 0612-2504498

(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद

(M) 9934280177

(O) 0612-2219693

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(O) 9431818484

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157

(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901

(O) 9334387555

सेवा में,

श्री डी0 एन0 गौतम,
भा0 आ0 से0,
पुलिस महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

विषयः–**बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की हत्या के पश्चात् अनुसंधान एवं आरोप पत्र समर्पित करने में विलम्ब के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा आपका ध्यान दिनांक 6–08–08 को भेजे गये पत्र के द्वारा आकृष्ट किया गया था (प्रतिलिपि सलंग्न)। उसके पश्चात् भी मरहूम सैयद मंजर आलम, तत्कालीन सचिव, पटना नगर निगम जिनकी निर्मम हत्या उनकी पत्नी के साथ दिनांक 2–07–08 को हुई थी, की आज तक अनुसंधान कर इस हत्या काण्ड का उद्भेदन नहीं हो सका है।

जहाँ तक दिनांक 22–06–08 को शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की हत्या का प्रश्न है, मुख्य दोषी को गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस अपनी शिथिलता के चलते असफल रही है। उक्त काण्ड में गिरफ्तार किये गये अन्य 3 अभियुक्तों के विरूद्ध भी यदि तीन दिनों के अन्दर आरोप पत्र समर्पित नहीं किया जाता है, तो वे जमानत लेकर बाहर आ जायेंगे।

बाढ़ की विभिषिका के चलते राज्य प्रशासन प्रभावित जन समुदाय को बचाने में लगा है, इस बीच प्रशासनिक पदाधिकारियों की हुई हत्या का उद्भेदन एवं अपराधी को त्वरित सजा दिलाने में हो रही विलम्ब से प्रशासन का एक अंग अपने को उपेक्षित समझे, यह आशा संघ आपसे नहीं रखती है।

"बासा" को पूर्ण विश्वास है कि आज अपने व्यस्त कार्यक्रम में यदि थोड़ा समय भी इस मामले में दें तो निश्चित रूप से इस हत्या काण्ड के दोषी दंडित हो जायेंगे, अन्यथा राज्य सरकार का भयमुक्त समाज बनाने की परिकल्पना में राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी सुरक्षित नहीं हैं।

आप अवगत ही होंगे कि अरियरी प्रखंड में वर्ष 2004 में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी की हत्या हुई थी और उस समय के दोषी दंडित नहीं हुए। यह भी एक कारण है कि घटना की पुनरावृति हुई है।

आपसे अनुरोध है कि वो हत्याकाण्ड का अनुसंधान किसी वरीय पदाधिकारी के सघन पर्यवेक्षण में कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19/9/08

(ए0 सी0 मिश्र)

अध्यक्ष